बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०स० :–2/अ०प्र०–2–09/2021 1451 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

नालन्दा जिला अंतर्गत हरनौत, नगरनौसा, चंडी, अस्थावां एवं हिलसा प्रखंडों में विभिन्न शीर्ष अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का पाँच निरीक्षण दलों द्वारा दिनांक 19.02.2021 को किये गये स्थल निरीक्षण में कार्य प्रमंडल, हरनौत अंतर्गत एम०एम०जी०एस०वाई० के तहत तुलसीगढ़ उच्च विद्यालय से गोसाई मठ पथ के प्राक्कलन निर्माण में बरती गई अनियमितता के आलोक में श्री धन्नजय कुमार निराला, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत अधिसूचना संख्या–553–सह–पठित ज्ञापांक–554 दिनांक 16.03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया।

2. उक्त आरोपों पर श्री निराला के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 733 अनु0 दिनांक 16.06.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री निराला के पत्रांक शून्य दिनांक 22.06.2021 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री निराला के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए अधिसूचना संख्या–1893 दिनांक सह–पठित ज्ञापांक–1894 दिनांक 30.12.2021 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

3. श्री निराला, सहायक अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 07.03.2022 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु आवेदन विभाग को समर्पित किया गया। तद्‌ालोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री धन्नजय कुमार निराला, सहायक अभियंता दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 29.12.2021 तक निलंबित रहे एवं जिन आरोपों पर श्री निराला को निलंबित किया गया था, उक्त आरोपों के संबंध में श्री निराला से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकृत किया गया है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत श्री धन्नजय कुमार निराला, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 29.12.2021 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

ह० 6/9/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in
E:/2021/Aaropmukt

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–09/2021 1451 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2022
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–09/2021 1451 /पटना, दिनांक :– 9.9.22

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/पटना/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,हरनौत/बाढ़ /प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री धन्नजय कुमार निराला, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/9/2022
विशेष सचिव